

प्रपत्र-2

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम :-- Proposal for diversion of 2.183 ha of forest land for construction /improvement of Rudrapur Bypass Road Section I (from Chainage KM 00+000 to Chainage KM 21+476) in Udham Singh Nagar district under Tarai Kendriya Van Prabhag in Rudrapur Forest Range in the state of Uttarakhand.

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
ख) 1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
क) परिवारों की संख्या
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनद्धता (वचनद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।



दिनांक

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर



स्थान.....

नाम

मोहर



प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)